प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

एन.डी.पी.एस एक्ट में सतत पैरवी कर करायी गयी सजा

दिनांकः-10.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 10.09.2021 को थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 2299/09 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस एक्ट बनाम हरिशचन्द्र पुत्र स्व0 भरोसे यादव निवासी चम्पापुर थाना मानपुर जनपद सीतापुर मूल पता ग्राम बालकपुरवा थाना मानपुर जनपद सीतापुर में कोतवाली नगर/मानपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 10.09.2021 को विचारण पूर्ण कर विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7 सीतापुर द्वारा अभियुक्त हरिशचन्द्र उपरोक्त को एक वर्ष सश्रम कारावास व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

--------------0--------------